संख्या-**486**/2023/3105/41-2023-234(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक **06** जुलाई, 2023

विषय:-जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेली-काप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-9978/SS/Heliport-Monitoring/95, दिनांक 24.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेली-काप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- विपुल पर्यटन–सम्पदाओं एवं असीम पर्यटन सम्भावनाओं के परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों/आकर्षणों और पर्यटन सम्भावनाओं युक्त स्थलों को विकसित किये जा रहे हैं, साथ ही पर्यटकों के सुविधार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है ताकि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि हो सके। जनपद आगरा एवं मथुरा में विश्व प्रसिद्ध अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण वर्ष पर्यन्त देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आवागमन होता है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हेलीपोर्ट के संचालन की स्वीकृति मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी है। पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट के महत्व के दृष्टिगत प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा–आगरा एवंमथुरा में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हेलीपोर्ट के संचालन की पहल की गयी है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा। हेलीपोर्ट्स की सुविधा से देशी–विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का बेहतर अनुभव होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियॉ बढ़ेगी, रोजगार के नये अवसर सृजित होगें तथा लोगों का आर्थिक उन्नयन होगा।

3– आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित व संचालित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19–04–2022 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या–268/2022/आई/159173/41–1099/116/2021–165(सा0)/2021 दिनांक 25 अप्रैल, 2022 निर्गत किया गया है।

4– उक्त निर्णय के अनुपालन में जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट किये जाने हेतु आर0एफ0क्यू0 की ई–निविदा दिनांक 04–08–2022 को उत्तर प्रदेश पी0पी0पी0 गाइडलाइन–2016 (संशोधित गाइडलाइन–2018) के पैरा 2.5 पर गठित सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति की उप समिति (sub-committee of Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के समक्ष खोली गयी। पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यवृत्त दिनांक 16 अगस्त, 2022 के माध्यम से उप समिति द्वारा आर.एफ.क्यू की ई–निविदा में प्राप्त निम्न 05 रिस्पॉन्सिव निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट करते हुए उनके मध्य आर.एफ.पी. की ई–निविदा किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1-ओ.एस.एस. एयर मैनेजमेण्ट प्रा.लि. (Oss Air Management Pvt.Ltd)
2- राजस एयरोस्पोर्ट्स एवं एडवेन्चर्स प्रा.लि. (Rajas Aerosports and Adventures Pvt.Ltd)
3- शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा.लि. (Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd)
4- फ्लाईब्लेड इण्डिया प्रा.लि. (Flyblade India Pvt.Ltd)
5- शिरिशा टेक्नोलॉजीस् प्रा.लि. (Sherisha Technologies Pvt.Ltd)

5– दिनांक 22–08–2022 को सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति(Public Private Partnership Bid Evaluation Committee)द्वारा निविदा प्रपत्रों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0–रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम–1: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम–II: ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंण्ट एवं वैल्यूम–III: ड्राफ्ट सेड्यूल्स टू कन्सेशन एग्रीमेंण्ट (RFP/DCA -Request for Proposal Volume-1: Instruction to Bidders, Volume-II : Draft Concession Agreement and Volume-III : Draft Schedules to Concession Agreement)को अनुमोदित किया गया, जिसका पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2022 के माध्यम से कार्यवृत्त जारी किया गया।

6– इस परिपेक्ष्य में अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–3/2018/260/83–अव0–2018–34(अव0)/2013 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के संबंध में जारी ''गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश–2016'' (संशोधित गाइडलाइन–2018) के चैप्टर–3 Process Flow chart for Development of Project on PPPके पैरा 3.3Selection of Developer के अनुपालन में आगरा एवं मथुरा के हेलीपोर्ट्स को पी0पी0पी0 मोड पर संचालित करने हेतु प्रस्तर–5 में उल्लिखित निविदा प्रपत्रों तथा 05 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) के मध्य निविदा कराये जाने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा अन्तिमीकृत प्रपत्रों को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके अनुपालन में पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–544/2022/3137/41–2022–234(सा0)/2022 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश जारी किया गया।

7– मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्त शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) के मध्य आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0 की ई–निविदा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड की गयी। ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0 के सापेक्ष निविदाकर्ताओं द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी।

8– शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) द्वारा आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0 के सापेक्ष की गयी पृच्छाओं के रिस्पॉन्स एवं कॉरिजेण्डम पर सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके क्रम में पर्यटन अनुभाग,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–5743/41–2022–234(सा0)/2022, दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया।

9– पर्याप्त संख्या में निविदायें प्राप्त न होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निविदा प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर दिनांक 15–12–2022,दिनांक 15–12–2022 से बढ़ाकर दिनांक 26–12–2022,दिनांक 26–12–2022 से बढ़ाकर दिनांक 05–01–2023 एवं पुनः बढ़ाकर दिनांक 13 जनवरी, 2023 निर्धारित किया गया।

10– जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर संचालित कराये जाने हेतु दिनांक 13–01–2023 को प्रमुख सचिव पर्यटन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पी0पी0पी0बी0ई0सी0 समिति की बैठक में पर्याप्त संख्या में बिड प्राप्त न होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ई–निविदा प्राप्त किये जाने की तिथि पुनः दिनांक 24 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी गयी। इस प्रकार पर्याप्त संख्या में निविदायें न प्राप्त होने के कारण निविदा प्राप्त करने की तिथियाँ 05 बार बढ़ाने के उपरान्त अंततः दिनांक 24 जनवरी, 2023 को ई–निविदा खोली गयी, जिसमें मात्र 01 शार्टलिस्टेड फर्म मेसर्स राजस एयरोस्पोर्ट्स् एवं एडवेंचरस् प्राईवेट लिमिटेड की निविदा प्राप्त हुई।

11- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेली-काप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28.06.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(1) विभागीय कन्सलटेन्सी फर्म मेसर्स के0पी0एम0जी0 द्वारा उपरोक्त दोनों हेलीपोर्ट्स के फाईनेन्शियल मॉडल के आधार परआंकलित की गयी फ्लोर बेस प्राइस धनराशि **रू0 13,50,000.00 (रूपये तेरह लाख पच्चास हजार मात्र)** के सापेक्ष मेसर्स राजस एयरोस्पोर्ट्स् एवं एडवेंचरस् प्राईवेट लिमिटेड द्वारा धनराशि **रू0 25,00,005.00 (पच्चीस लाख पांच रूपये मात्र)** का वित्तीय प्रस्ताव ई–निविदा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो कि निर्धारित फ्लोर बेस प्राइस से 85.20 प्रतिशत अधिक है।

(2) उपरोक्त हेलीपोर्ट्स को पी0पी0पी0 मोड पर संचालित कराये जाने हेतु लीज पर दिये जाने के प्रमुख नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित किये जाने के पूर्व अपफ्रण्ट प्रीमियम (एक बार देय) की धनराशि रू0 2,03,84,000/– (रू0 दो करोड़ तीन लाख चौरासी हजार मात्र) देय होगा।
- उक्त हेलीपोर्ट्स को प्रथमतया 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा।विकासकर्ता को प्रथम 02 वर्ष विकास कार्य हेतु दिये जायेंगे। अनुबंध पुनः आगामी 30 वर्षों के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा। नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रथम इन्कार का अधिकार (First Right to Refusal) विकासकर्ता को प्रदान किया जायेगा।
- ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट के प्राविधानों के अनुसार अनुबन्ध तिथि से 03 वर्ष की अवधि के उपरान्त अथवा व्यावसायिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date) जो भी पहले होगा, से वार्षिक कन्सेशन शुल्क (Annual Concession Fee) विकासकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष देय होगी।
- विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त हेलीपोर्ट्स को अनुबन्ध तिथि से 07 वर्षों के भीतर अनुमोदित बिजिनेस प्लान (Business Plan) के अनुरूप हेलीपोर्ट्स एवं संबंधित अन्य सुविधाओं को डिजाईन, फाईनेन्स, कन्स्ट्रक्ट, मैनेज, विकसित, संचालित तथा पूर्ण रूप से विकसित करना होगा।
- अनुबन्ध तिथि से प्रथम 07 वर्ष के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा निर्धारित कन्सेशन फीस की दर में आगामी प्रत्येक 03 वर्ष के बाद स्वतः 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। यह बढ़ोत्तरी प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त इसी क्रम में लीज अवधि के दौरान होती रहेगी।

(3) उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तर–10 में उल्लिखित जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा में राजस एयरोस्पोर्टस् एवं एडवेंचरस् प्राईवेट लिमिटेड से प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव धनराशि रू0 25,00,005 (पच्चीस लाख पांच रूपये मात्र) प्रतिवर्ष की दर पर लीज पर दिये जाने के प्रस्ताव एवं फर्म से अनुबंध किये जाने पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(क) जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा के सापेक्ष उपरोक्त 05 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) के सापेक्ष प्राप्त निविदा पर अनुमोदन।

(ख) आर0एफ0क्यू0 (RFQ), आर0एफ0पी0 (RFP) एवं कॉरिजेण्डम्स (Corrigendums) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(पी0पी0पी0) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु मेसर्स राजस एयरोस्पोर्टस् एवं एडवेंचरस् प्राईवेट लिमिटेड को धनराशि रू0 25,00,005 (पच्चीस लाख पांच रूपये मात्र) प्रतिवर्ष (अनुबंध के अनुसार वृद्धि के साथ) की दर पर लीज पर दिये जाने के साथ ही एल0ओ0ए0 (Letter of Award) एवं चयनित फर्म तथा विभाग के मध्य अनुबंध किये जाने पर अनुमोदन।

(4) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

12- जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेली-काप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा :-

(1) जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल (सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा इत्यादि हेतु तैनात) पर वहन वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित फर्म/फर्मो के द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु उसके अन्तर्गत स्थापित होने वाले पुलिस थाना/चौकी हेतु भूमि की निःशुल्क व्यवस्था सम्बन्धित फर्म/फर्मों के द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सुरक्षा उपकरण/उपकरणों की समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु उपकरणों के वहन पर व्यय होने वाले धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/फर्मों के द्वारा किया जायेगा।

(4) हेलीपोर्ट को विकसित व संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियामक संस्थाओं यथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0) भारत सरकार तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, (बी0सी0ए0एस0) भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों (guidelines) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5 प्रश्नगत परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु प्रचलित सुसंगत नियमों/ विधिक नियमों के अधीन सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत परियोजना को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु अवस्थापना विकास अनुभाग द्वारा जारी पीपीपी गाइडलाइन्स- 2016 (यथासंशोधित-2018) के अनुसार किया जायेगा।

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/सचिव प्रमुख/सचिव,**
   गृह विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग/वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
8. जिलाधिकारी, आगरा/मथुरा।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।